न्यायालय तृतीय अपर सेशन जज हरिद्वार।

दण्ड निगरानी संख्या–464 / 2022

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं0–434 / 2022

एस0बी0आई0 बनाम सरकार आदि

दिनांक : 04–06–2024

पुकारा गया। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। प्रस्तुत निगरानी, निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षी सतपाल के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156।3। दं0प्र0सं0 में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निरस्तीकरण के आदेश के विरूद्ध योजित की गई है।

उक्त सम्बन्ध में सतपाल के विरूद्ध प्रेषित नोटिस पर यह आख्या प्राप्त हुई कि, विपक्षी की मृत्यु हो चुकी है। उक्त बाबत सम्बन्धित थाने की आख्या मय विपक्षी के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि भी पत्रावली पर प्रस्तुत है।

चूंकि प्रस्तुत मामला विपक्षी के तथाकथित दाण्डिक कृत्य के आरोप से सम्बन्धित है तथा वर्तमान में विपक्षी सतपाल की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में, विपक्षी के किसी भी तथाकथित दाण्डिक कृत्य का आरोप स्वयं में ही विपक्षी की मृत्यु के कारण निष्प्रभावी हो जाता है। परिणामतः, प्रस्तुत निगरानी विपक्षी संख्या–2 की मृत्यु होने पर निष्प्रयोज्य होने के कारण निरस्त की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होवे।

(अनिरूद्ध भट्ट)
तृतीय अपर सेशन जज
हरिद्वार।